भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3880

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में विलंब

3880. श्री नारायणदास अहिरवारः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बुंदेलखंड सहित राज्य-वार और जिला-वार कई स्थानों पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में विलंब हो रहा है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, बुंदेलखंड सहित राज्य-वार और जिला-वार निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को, विशेषकर बुंदेलखंड के युवाओं को, उनके प्रशिक्षण की समाप्ति पर स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार प्रदान करने के लिए कोई नई योजना या नीति आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत, मजदूरी का भुगतान सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, पिछले वर्षों की स्वीकार्य लंबित देनदारियों, यदि कोई हो,

भारत सरकार द्वारा विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 तक की सभी देय और स्वीकार्य लंबित मजदूरी देनदारियों का निपटान पहले ही कर दिया गया है।

प्रस्ताव की प्रस्तुति और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। योजना की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों की निधियों की मांग, पहले से स्वीकृत राशि के उपयोग और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति के आधार पर समय-समय पर वित्तीय मंजूरी जारी की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2026-27) के दौरान, महात्मा गांधी नरेगा योजना के मजदूरी घटक के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को 912.43 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ): चूंकि विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 1 जुलाई, 2026 से लागू हो गया है, इसलिए पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावी निगरानी, समय पर निधियों के उपयोग और इच्छित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के तहत एक व्यापक संस्थागत, समुदाय -आधारित और तकनीकी-सक्षम ढांचा लागू किया गया है। ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी, स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों के माध्यम से अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षा, रिकॉर्ड और सूचना का सार्वजनिक प्रकटीकरण, शिकायत निवारण तंत्र, नियमित निरीक्षण और समवर्ती निगरानी कार्यान्वयन ढांचे के भाग के रूप में की जा रही है।

इस कार्यान्वयन को तकनीकी सक्षम प्रणाली के माध्यम से और सहायता प्रदान की जाती है। पारदर्शिता और प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है, स्वतंत्र क्षेत्र सत्यापन और कार्यान्वयन की गुणवत्ता के आकलन के लिए क्षेत्र अधिकारी निगरानी दौरे किए जा रहे हैं, परिसंपत्तियों को तकनीकी-सक्षम, कार्यों के माप को रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माप पुस्तकें (ई-एमबी) का उपयोग किया जा रहा है, और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी वास्तविक समय में की जा रही है। इन उपायों को बुंदेलखंड क्षेत्र सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।

दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत पहलों के समूह में से एक दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) है जिसका उद्देश्य आजीविका विविधीकरण और गरीबी कम करना है। डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और रोजागार से जुड़े कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(50%), महिलाओं (33%) और पीडब्ल्यूडी (5%) का सामाजिक समावेशन करता है।

मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार क्षमता और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 2025-26 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 (डीडीयू-जीकेवाई 2.0) शुरू की है, जो मांग-आधारित कौशल, उद्योग भागीदारी, रोजागार से जुड़े प्रशिक्षण और उभरती नौकरी भूमिकाओं पर केंद्रित है। डीडीयू-जीकेवाई एक वर्ष रोजगार पश्चात ट्रैकिंग और सहायता, परामर्श, प्रवासन सहायता, पूर्व छात्र जुड़ाव, शिकायत निवारण तंत्र और अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के अवसरों के माध्यम से दीर्घकालिक रोजगार परिणामों (न्यूनतम 6 महीने के लिए अधिकतम 20% स्व- या गिग रोजगार सहित न्यूनतम 70% नियोजन) पर जोर देता है। संशोधित ढांचे के तहत, अभ्यर्थियों को निरंतर रोजगार और करियर प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए दीर्घकालिक ट्रैक और समर्थन की आवश्यकता होती है।

प्रशिक्षण गुणवत्ता, मूल्यांकन, नियोजन परिणामों की नियमित समीक्षा और आवधिक निगरानी की जा रही है, जिससे योजना के प्रभावी कार्यान्वयन, आजीविका संवर्धन और समय पर कार्यान्वयन में योगदान हो रहा है।

बुंदेलखंड क्षेत्र में, 36036 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 23275 अभ्यर्थियों को इस योजना के तहत नियोजित किया गया है।